राजीव कृष्णा, IPS
पुलिस महानिदेशक एवं
राज्य पुलिस प्रमुख, उत्तर प्रदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0
सिग्नेचर बिल्डिंग
शहीद पथ, गोमती नगर विस्तार,
लखनऊ – 226002
फोन नं.0522–2724003 / 2390240, फैक्स नं.0522–2724009
सीयूजी नं. 9454400101
ई–मेल : police.up@nic.in
वेबसाईट : https://uppolice.gov.in

दिनांक : जुलाई 29, 2025

विषयः रिट याचिका संख्या- 20422/2024 विनय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.05.2025 के आलोक में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के प्राविधानों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश।

प्रिय महोदय/ महोदया,

1.डीजी परिपत्र सं0-40/2022 दि० 09.12.2022
2. डीजी परिपत्र सं0-06/2023 दि० 14.02.2023
3. डीजी परिपत्र सं0-24/2023 दि० 26.07.2023
4. डीजी परिपत्र सं0-04/2024 दि० 19.01.2024
5. डीजी परिपत्र सं0-11/2025 दि० 21.03.2025

उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 की धारा-23 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर उ0प्र0 शासन द्वारा दिनांक 27.12.2021 को उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 अधिसूचित की गयी है। नियमावली 2021 उपरोक्त के लागू होने के बाद उसके अक्षरशः अनुपालन हेतु पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्र पूर्व में इस मुख्यालय स्तर से निर्गत किए गए हैं किन्तु इन दिशा-निर्देशों का कमिश्नरेट/ जनपद स्तर पर कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्रिमिनल मिस. एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 20422/2024 विनय कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के नियमों का अनुपालन न किये जाने को लेकर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए अपने आदेश दिनांक-12.05.2025 के माध्यम से निम्नवत निर्देश निर्गत किये गये हैं –

19. The existence of two separate checklists may lead to confusion among Investigating Officers and Prosecution Officers at the district level. Therefore, based on the foregoing discussions, the Additional Chief Secretary (Home) is hereby directed;

(i) To ensure that a single check list be prepared based on the two check lists - discussed aforesaid - prepared by the Department of Home and the Directorate (Prosecution), herein within 30 days of this order, and shall further ensure strict adherence by the investigating officer with the check list during investigation.

(ii) The Director General of Police, in consultation with the Department of Home shall jointly prepare a compendium containing:

(a) guidelines formulated by the Home Department in compliance of Gorakh Nath Mishra's case (supra),
(b) circular bearing no. DG/Circular No.-06/2018 dated 19.02.2018, issued by the Director General of Police,
(c) a single check list, and
(d) the other instructions issued under the authority of this order. 17

(iii) The Director General of Police, Uttar Pradesh shall ensure the strict implementation of the circular bearing no. DG/Circular No. 06/2018 dated 19.02.2018, issued by the Director General of Police, whereby it has been made mandatory to every Investigating Officer that upon completion of investigation, prior to submission of charge sheet/final report, the Investigating Officer must

................2

forward the draft charge sheet along with case diary to the Prosecution Officer through the Circle Officer. The Prosecution Officer shall review the case diary and evaluate the evidence collected during the investigation. If any shortcomings or inconsistencies are found, they shall be indicated, and further investigation shall be directed to address those issues. The case diary shall be returned to the Investigating Officer via the same channel after the Prosecution Officer's review, and only thereafter, the charge sheet or final report shall be submitted to the Court.

(iv) The Director General (Prosecution) shall issue general guidelines to all the Prosecution Officers to review the charge sheet along with the case diary in a time-bound manner. The number of days to complete the said exercise shall be decided by the Department of Prosecution.

(v) The charge sheet shall be filed along with a duly paginated Index containing:
 (a) serial number,
 (b) date-wise brief description of the investigation in seriatim- CD wise details,
 (c) details of document collected during investigation,
 (d) brief description of steps taken by Investigating Officer,
 (e) details of Section 94 B.N.S.S., 2023 notice, issued to " any person" to produce document and other thing, and
 (f) or any other details as deem fit by the Investigating Officer.

(vi) Every Investigating Officer upon completion of investigation, prior to submission of charge-sheet/final report, must make an 18 endorsement in the case diary a day prior or on the date of submission of the charge sheet to the Court that the guidelines issued in compliance of Gorakh Nath Mishra's case (supra), the steps mentioned in the check list and the mandate of circular bearing no. DG/Circular No.-06/2018 dated 19.02.2018, issued by the Director General of Police, has been complied with in letter and spirit. The copy of the Case Diary, containing the aforesaid details, shall be forwarded to the Court following the report under Section 193 BNSS, 2023.

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश संख्या-HC-48/छ:-पु0-9/2024-1939570 दिनांकित 03.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) निर्गत किया गया, जिसके साथ समेकित चेक लिस्ट संलग्नक -1 के रूप में संलग्न है। शासनादेश दिनांकित 03.07.2025 द्वारा प्रमुख सचिव गृह, उ0प्र0 शासन ने कार्यालय ज्ञाप संख्या-4619/छ:-पु-9-2024-1867437 दिनांकित 02.12.2024 **(छायाप्रति संलग्न)** के माध्यम से निर्गत विस्तृत निर्देशों तथा समेकित चेक लिस्ट में दी गयी प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करने हेतु निर्देशित किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उपरोक्त आदेश दिनांकित 12.05.2025 तथा उ0प्र0 शासन द्वारा तत्क्रम में निर्गत शासनादेशों के अनुपालन में उ0प्र0 गिरोहबंद अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करते समय निम्नलिखित निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाना आवश्यक है-

(i) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही करने से पूर्व गैंगचार्ट तैयार करने हेतु उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली -2021 में दिये गये नियमों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

...........3

(ii) गैगचार्ट तैयार करने, उसे अनुमोदित करने तथा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत कार्यालय ज्ञाप दिनांकित 02.12.2024 व 03.07.2025 के माध्यम से निर्गत निर्देशों तथा इस सम्बन्ध में पार्श्वांकित बॉक्स में अंकित डीजी परिपत्रों का भी पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

(iii) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बन्धित विवेचनाओं में प्रत्येक आरोप पत्र के साथ निम्नलिखित 06 बिन्दुओं का एक इंडेक्स सम्मिलित किया जाएगा -

(क) प्रत्येक अभिलेख / प्रपत्र का क्रम संख्या।

(ख) दिनांक अनुसार संक्षिप्त विवरण, जिसमें केस डायरी की प्रविष्टियों का क्रमवार उल्लेख सम्मिलित हो।

(ग) विवेचना के दौरान संकलित अभिलेखों का संक्षिप्त विवरण।

(घ) विवेचना अधिकारी द्वारा की गयी प्रमुख कार्यवाहियों का उल्लेख।

(ड) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 94 के अन्तर्गत "किसी व्यक्ति" को अभिलेख अथवा अन्य वस्तु प्रस्तुत करने के लिये निर्गत किये गये नोटिस का विवरण।

(च) अन्य कोई प्रासंगिक विवरण, जिसे विवेचना अधिकारी द्वारा उपयुक्त और आवश्यक समझा जाए।

(iv) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 के प्रकरणों में डीजी परिपत्र संख्या-06/2018 दिनांक 19.02.2018 का कड़ाई से अनुपालन हो जिसके अनुसार प्रत्येक विवेचना अधिकारी को विवेचना पूर्ण होने के पश्चात आरोप पत्र/ अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व, ड्राफ्ट आरोप पत्र को केस डायरी सहित सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के माध्यम से जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन को विधिक राय प्राप्त करने हेतु प्रेषित करेगा। जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन या उसके अधीनस्थ नियुक्त अभियोजन संवर्ग के अधिकारी द्वारा केस डायरी के परीक्षणोपरांत विवेचना में संकलित साक्ष्य आदि की समीक्षा की जाएगी। यदि विवेचना में कोई कमी या विसंगति पायी जाती है तो उसको इंगित करते हुए सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी को सूचित किया जाएगा। क्षेत्राधिकरी इंगित कमियों की पूर्ति हेतु अग्रेतर विवेचना करायेंगे और आपत्तियों का निराकरण सुनिश्चित करायेंगे। इस सम्बन्ध में पुलिस महानिदेशक, अभियोजन, उ0प्र0 द्वारा प्रदेश के समस्त जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन को दिनांक 09.07.2025 को निर्देश निर्गत किया गया है। (छायाप्रति संलग्न)

(v) प्रत्येक विवेचना अधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण होने पर तथा आरोप पत्र / अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पूर्व, केस डायरी में इस आशय की प्रविष्टि (Endorsement) अंकित की जायेगी कि विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) डायरी संख्या- 2673/2023 गोरखनाथ मिश्रा बनाम उ०प्र० राज्य में पारित आदेश के अनुपालन में शासन द्वारा दिनांक 02.12.2024 को निर्गत दिशा-निर्देश, शासन द्वारा दिनांक 03.07.2025 को निर्गत एकीकृत चेकलिस्ट (छायाप्रति संलग्न) में वर्णित प्रक्रियाओं तथा डीजी परिपत्र संख्या-06/2018 में दिये गये निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया गया है। विवेचक द्वारा किया गया उपरोक्त Endorsement केस डायरी के साथ संलग्न करते हुये आरोपपत्र / अंतिम रिपोर्ट सहित मा0 न्यायालय प्रेषित किया जायेगा।

(vi) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की गयी उपरोक्त प्रक्रिया को ऑनलाइन पूर्ण करने की व्यवस्था का समावेश सीसीटीएनएस साफ्टवेयर में किये जाने हेतु कार्यवाही प्रचलित है। जब तक सीसीटीएनएस

............4

साफ्टवेयर में उपरोक्त प्रक्रिया पूर्ण करने एवं अपलोड करने का विकल्प उपलब्ध नहीं हो जाता तब तक मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिये गये उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन मैनुअली प्रचलित रखा जाय।

(vii) मा0 उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत उपरोक्त निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में प्रशिक्षण निदेशालय, उ0प्र0 द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम में समाहित करते हुये विवेचकों को प्रशिक्षित किया जाय।

अतः आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 तथा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द तथा समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही करने हेतु अपने अधीनस्थ सभी राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों/विवेचकों को समय-समय पर कार्यशालाओं का आयोजन कर विस्तार से अवगत करायें तथा इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करें।

यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इन निर्देशों के अनुपालन में शिथिलता बरती जाती है तो उसके विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा पर्यवेक्षण अधिकारियों का दायित्व भी निर्धारित किया जायेगा।

संलग्नक:यथोपरि।

भवदीय

२५१२

(राजीव कृष्णा)

1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक /प्रभारी जनपद/ रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था), उ०प्र० लखनऊ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवेज, उ०प्र० लखनऊ।
4. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उ०प्र०।
5. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, मुख्यालय उ०प्र०।
6. अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशिक्षण, उ०प्र०।
7. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक / पुलिस उपमहानिरीक्षक, उ०प्र०।

महत्वपूर्ण/समयबद्ध/मा0 उच्च न्यायालय प्रकरण

संख्या-HC-48/छ:-पु0-9/2024-1939570

प्रेषक

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
2. पुलिस महानिदेशक (अभियोजन), उत्तर प्रदेश ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तर प्रदेश ।
4. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध, उत्तर प्रदेश ।
5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश ।
7. समस्त पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश ।

गृह (पुलिस) अनुभाग-9 लखनऊ: दिनांक 03 जुलाई, 2025

विषय:-प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 482 संख्या-20422/2024, विनय कुमार गुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2025 के अनुपालन के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-पॉच-1-रिट-44-2025/2633 दिनॉक 01.07.2025, पत्र संख्या-पॉच-1-रिट-44-2025/2397 दिनॉक 13.06.2025 एवं पत्र संख्या-पॉच-1-रिट-44-2025/2033 दिनॉक 22.05.2025 तथा Registrar (Compliance) For Registrar General के पत्र संख्या-RC/942 (Crl) दिनॉक 28.05.2025 (छाया प्रति संलग्न)का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयगत वाद में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 12.05.2025 के सम्बंध में अक्षरश: पालन किये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं तथा अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग को, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की email id-

पुलिस अधीक्षक, अपराध
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0, लखनऊ

compliance@allahabadhighcourt.in पर अनुपालन आख्या समयान्तर्गत दाखिल किये जाने की अपेक्षा की गयी है ।

2- कृपया अवगत कराना है कि विषयगत प्रकरण में सुनवाई करते हुए मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 12.05.2025 को आदेश पारित किया गया जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार किये जाने संबंधित क्रियात्मक अंश निम्नवत हैं:-

> "19. The existence of two separate checklists may lead to confusion among Investigating Officers and Prosecution Officers at the district level. Therefore, based on the foregoing discussions, the Additional Chief Secretary (Home) is hereby directed;
>
> (i) To ensure that a single check list be prepared based on the two check lists - discussed aforesaid - prepared by the Department of Home and the Directorate (Prosecution), herein within 30 days of this order, and shall further ensure strict adherence by the investigating officer with the check list during investigation

3- उल्लेखनीय है कि उपर्युक्त वर्णित आदेश के प्रथम बिन्दु के सम्बन्ध में यद्यपि गृह विभाग के पूर्व कार्यालय-ज्ञाप/ परिपत्र संख्या-4080/छ:-पु0-9-2024-1842633 दिनांकित 24.09.2024 के साथ संलग्न चेकलिस्ट और अभियोजन निदेशालय द्वारा तैयार की गई चेकलिस्टों के आधार पर एक नवीन एकीकृत चेकलिस्ट तैयार करते हुए शासन के कार्यालय-ज्ञाप/परिपत्र संख्या-4619/छ:-पु-9-2024-1867437 दिनांकित 02.12.2024 के माध्यम से निर्गत की जा चुकी है । तथापि मा0 उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में उक्त चेकलिस्ट इस आदेश के साथ संलग्न कर पुर्नप्रसारित की जा रही है ।

4- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस आदेश के साथ संलग्न चेकलिस्ट का प्रदेश के समस्त विवेचकों द्वारा उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गैंगचार्ट तैयार किये जाने विवेचना के दौरान कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये । उक्त के अनुपालन में उपेक्षावान पाये जाने वाले कार्मिकों एवं अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जाये ।

<u>संलग्नकः यथोक्त</u>

भवदीय,

Digitally signed by
SANJAY PRASAD
Date: 03-07-2025
18:48:05

संलग्नक संख्या-1

गैंग चार्ट व उसमें समस्त प्रपत्रों की सूची (इंडेक्स)

क्र. स.	विषय	हाँ या नहीं	अभियुक्ति
1	गैंग चार्ट व उसके समस्त प्रपत्रों की सूची (इंडेक्स) संलग्न है या नहीं ।		
2	गैंग चार्ट का प्रारूप उ०प्र० गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) नियमावली 2021 के नियम-18 में दियें गये प्रपत्र संख्या - 01 के अनुसार है या नहीं ।		
3	गैंग चार्ट में गैंग का उद्देश्य विस्तृत एवं अनिवार्य रूप से अंकित है या नहीं । नियम - 03		
4	गिरोह में ऐसा कोई सदस्य तो सम्मलित नही है जिसके द्वारा 03 वर्ष या उससे पूर्व ऐसा आपराधिक कृत्य किया हो जो गैंगेस्टर एक्ट में परिभाषित अपराधों की परिधि में नही आता है। नियम - 04 (2)		
5	गिरोह पंजी की प्रमाणित प्रति नियमावली के नियम - 54 (प्रपत्र संख्या-02) के अनुसार संलग्न है या नहीं ।		
6	गैंग चार्ट में दोषमुक्त हुए एवं अंतिम रिपोर्ट प्रेषित मुकदमों को न दर्शाकर ऐसे मुकदमो को आपराधिक इतिहास की सूची में दर्शाया गया है कि नहीं।		
7	जिन मुकदमों के आधार पर पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही की जा चुकी है, उनको गैंग चार्ट में दर्शित किया गया है या नहीं ।		
8	गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमों में आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया है या नहीं।		
9	गैंग चार्ट में दर्शित मुकदमों की अद्यतन स्थित्ति का उल्लेख गैंग चार्ट में किया गया है या नहीं ।		

10	गैंग चार्ट में अभियुक्त का संपूर्ण आपराधिक इतिहास, डी०सी०आर०बी० सी०सी०टी०एन०एस० एवं आई०सी० जे०एस० (अंतर संचालनीय दाण्डिक न्याय प्रणाली) पोर्टल पर अद्यतन कृत करके प्रपत्र संलग्न किये गये है या नहीं।		
11	गैंग का आपराधिक कृत्य गैंगस्टर एक्ट की धारा - 02 (ख) की उपधारा - 01 से 25 के किस प्रावधान के तहत आता है, गैंगचार्ट में स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है या नहीं।		
12	पूर्ववर्ती गैंग चार्ट के कोई भी मुकदमें नये गैंग चार्ट में दर्शाये गये है या नहीं। नियम- 07 (01)		
13	धारा-107, 108, 109, 110 दं०प्र०सं० के अधीन पाबंद, गुण्डा एक्ट के तहत जिला बदर, किसी निवारक निरोध अधि० के अधीन निरुद्धि आदेश की प्रमाणित प्रतियाँ, संलग्न की गयी है या नहीं।		
14	गैंग के विरुद्ध पूर्व में गैंगस्टर एक्ट के तहत अनुमोदित गैंग चार्टों की प्रमाणित छायाप्रतियाँ भी संलग्न की गयी हैं या नहीं।		
15	गैंग चार्ट में दर्शित सभी अभियोगों के प्र०सू०रि०, आरोप पत्र, फर्द बरामदगी (न्यायालय से सत्य प्रतिलिपि प्राप्त कर संलग्न) लोक व्यवस्था भंग होने व उसे बहाल करने से संबन्धित दस्तावेज एवं साक्ष्य एवं गैंगेस्टर एक्ट में परिभाषित अपराध करके आर्थिक भौतिक एवं अनुचित दुनियावी लाभ अर्जन से संबन्धित दस्तावेज एवं साक्ष्य संलग्न किये गये है या नहीं।		
16	यदि अभियुक्त पूर्व में दोषसिद्ध है या कोई साक्षी पक्षद्रोही हो गया है, तो उसका स्पष्ट उल्लेख गैंग चार्ट में किया गया है या नहीं।		
17	गैंग चार्ट में अभियुक्त के जेल, जमानत या फरार होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है या नहीं। नियम - 11 (02)		

18	अभियुक्तगण की उम्र संबन्धी प्रमाणपत्र, लिंग, गैंग की सक्रियता, जिला / अंतर्जिला / अंतर्राज्यीय स्तर पर और उसके द्वारा जमानत शर्तों का दुरुपयोग किया गया है या नहीं, इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख गैंग चार्ट में किया गया है या नहीं ।		
19	गैंग चार्ट में गैंग के सदस्यों का चयन मनमाना नहीं होगा, यदि किसी सदस्य का नाम गैंग चार्ट में दर्शित नहीं किया जा रहा है तो उसका स्पष्ट एवं युक्तियुक्त आधार अंकित किया गया है या नहीं और जिस पर अंतिम विनिश्चय पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट के विवेक पर होगा । नियम - 15		
20	गैंग चार्ट में सामान्यतः अवयस्क (18 वर्ष से कम आयु) को सम्मिलित नहीं किया किया जायेगा, परन्तु यदि अवयस्क की आयु 16 वर्ष से अधिक व 18 वर्ष तक हो और उसके द्वारा किया गया अपराध नियम - 22 (2) में उल्लिखित अपराधों की श्रेणी में आता है तो उसे नियम - 64 के अधीन गठित कमेटी के निर्णय के लिए प्रस्तुत किया गया है या नहीं ।		
21	गैंग चार्ट गें उल्लिखित समस्त तथ्यों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों को मिलान किया गया है या नहीं		
22	गैंग चार्ट में उल्लिखित समस्त तथ्यों एवं संलग्न समस्त प्रपत्रों की सत्यता की पुष्टि के बाद प्रारम्भिक गैंग चार्ट तैयार कर संबन्धित प्रभारी निरीक्षक द्वारा नोडल अधिकारी गैंग चार्ट (संबन्धित क्षेत्राधिकारी / अपर पुलिस अधीक्षक / अपर पुलिस आयुक्त) को अग्रसारित किया गया है या नहीं । नियम - 12 (04)		
23	संबन्धित प्रभारी निरीक्षक से प्रारम्भिक गैंग चार्ट प्राप्त होने पर उसके तथ्यों की शुद्धता विश्वसनीयता का अपने स्तर से सत्यापन नोडल अधिकारी गैंग चार्ट द्वारा कर अंतिम रूप से नोडल अधिकारी द्वारा गैंग चार्ट तैयार किया गया है या नहीं। जिस पर थानाध्यक्ष / प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं होगें । नियम - 12		

	(05)		
24	नोडल अधिकारी गैंग चार्ट के द्वारा तैयार किया गया गैंग चार्ट अपर पुलिस अधीक्षक को भेजा गया है या नहीं ।		
25	अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा भेजे गये गैंगचार्ट का गैंगेस्टर एक्ट एवं नियमावली के प्रावधानों के अनुरूप परीक्षण एवं परिशीलन करने के उपरान्त अपनी स्पष्ट टिप्पणी के साथ प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक को प्रेषित किया गया है या नहीं ।		
26	उक्त अग्रसारित गैंग चार्ट को प्रभारी जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा परिशीलन एवं गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप संतुष्ट होने पर नियम-16 के अनुसार संतुष्टि परक तथ्य स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट को संस्तुति सहित अग्रसारित किया गया है या नहीं ।		
27	गैंग चार्ट के अनुमोदन हेतु पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठक की गयी है या नहीं ।		
28	गैंग चार्ट अनुमोदन के पूर्व उक्त अधिकारियों द्वारा व्यक्तिगत रूप से भी अपने स्वतंत्र मस्तिष्क का प्रयोग करने के पश्चात ही उनके व्यक्तिगत लेख में एवं नाम व दिनांक व मोहर सहित हस्ताक्षर किये गये है या नहीं । नियम - 05 (3) (क), नियम - 17 (1), (2) (संयुक्त बैठक की कार्यवाही रजिस्टर की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य है ।)		
29	पुलिस थाना प्रभारी द्वारा गैंग चार्ट में मामलों और दोषसिद्धियों या न्यायालय में अद्यतन स्थिति अभिनिश्चित करने के पश्चात ही मामलों का उल्लेख भागतः विचारण या आंशिक विचारण के रूप में अकिंत किया गया है या नहीं ।		

3412-24

796
3/12/24

उत्तर प्रदेश शासन
गृह (पुलिस) अनुभाग-9
संख्या- 4619/छः-पु0-9-2024- 1867437
लखनऊ : दिनांक 02 दिसम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप/परिपत्र

आप अवगत हैं कि उत्तर प्रदेश शासन की संगठित अपराधों एवं उनके अपराधियों के प्रति शून्य सहिष्णुता (Zero Tolerance) की नीति है। उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (जिसे एतस्मिन पश्चात् "अधिनियम 1986" कहा गया है) एवं उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) नियमावली, 2021(जिसे एतस्मिन पश्चात् "नियमावली, 2021" कहा गया है) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु गृह विभाग द्वारा नियमित रूप से शासनादेश एवं दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं। उक्त में से कतिपय शासनादेशों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिकानुसार है:-

क्र.सं.	संख्या	विषय
1.	1208/छः-पु0-9-22-31(43)/टीसी 2013 दिनांक 18.04.2022	नियमावली 2021 ,के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।
2.	3421/छः-पु0-9-23-31(43)/टीसी 2013 दिनांक 24.07.2023	नियमावली 2021 ,के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में। उक्त के अतिरिक्त इस शासनादेश के माध्यम से नियमावली 2021 ,के प्राविधानों का अनुपालन न किये जाने का तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बन्धित अधिकारियों का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए वैधानिक कार्यवाही के भी निर्देश दिये गये।
3.	4705/छः-पु0-9-23-31(43)/टीसी 2013 दिनांक 21.01.2024	नियमावली 2021 ,के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में सर्वाधिक विस्तृत दिशानिर्देश दिये गये हैं। जिसके अन्तर्गत नियमतथा के प्राविधानों का 5,8,16,17,20,26,36-कड़ाई से अनुपालन किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।
4.	1708(1)/छः-पु0-9-2024-31(43)/2013-टीसी-1568755 दिनांक 20.07.2024	नियमावली 2021 ,के नियम)(3)5कंवरिष्ठ / पुलिस आयुक्त / ला मजिस्ट्रेटके अन्तर्गत जि / पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठकों के संकल्पों की प्रविष्टि हेतु एक रजिस्टर अनुरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

2- उक्त स्पष्ट दिशा निर्देशों के बावजूद शासन के संज्ञान में आया है कि उ0प्र0 शासन एव पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा नियमावली 2021 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु निर्गत किये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन नहीं किया जा रहा है तथा कमिश्नरेट / जनपद स्तर के अधिकारियों द्वारा गैंगचार्ट तैयार करने में उपेक्षा बरती जा रही है, जिसमें तत्काल सुधार अपेक्षित है। त्रुटिपूर्ण गैंग चार्ट के आधार पर गिरोहबन्द अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने से न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य की स्थिति असहज होती है तथा इसका लाभ अन्ततः अभियुक्त को मिलता है। प्रायः कारित त्रुटियों के उदाहरण निम्नवत है:-

(1) प्रथम सूचना रिपोर्ट में आपराधिक मामलों के विवरण का त्रुटिपूर्ण अंकन ;

(2) गिरोह के सदस्य होने के आरोपी व्यक्ति असामाजिक गतिविधियों में लिप्त होना अंकित परन्तु उक्त असामाजिक गतिविधियों का विवरण अंकित न किया जाना ;

(3) प्रथम सूचना रिपोर्ट धारा 3(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत पंजीकृत की गई थी परन्तु सुसंगत उपधारा व खण्ड से संबंधित प्रावधान का उल्लेख नहीं किया जाना;

राक (अपरा
लखनऊ

(4) संयुक्त बैठक में दर्ज किए गए निष्कर्ष और पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गैंगचार्ट को मंजूरी देते समय दर्ज किए गए निष्कर्ष अलग-अलग अंकित किया जाना;

(5) पूर्व-टाइप किए गए संतुष्टि पत्र पर हस्ताक्षर करते समय जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने हस्ताक्षर की तिथि का उल्लेख नहीं किया जाना;

(6) सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बजाय केवल पूर्व-टाइप की गई संतुष्टि पर हस्ताक्षर अंकित करना आदि।

3- उक्त के अतिरिक्त मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) डायरी संख्या-2673/2023 गोरखनाथ मिश्रा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के संबंध में प्रदत्त निर्देशों के क्रम में अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत गिरोह चार्ट तैयार करने तथा उक्त के अनुमोदित किये जाने एवं विवेचनोपरान्त विधिक समीक्षा तथा अन्य सुसंगत कार्यवाहियों के संबंध में निम्नलिखित दिशा-निर्देश निर्गत किया जाता है, जिसका तत्परता एवं प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए :-

(1) अधिनियम के प्रावधान तभी आरोपित किये जायें जब गिरोहबंद द्वारा लोक व्यवस्था को अशांत करने हेतु अथवा स्वयं या अन्य के लिये कोई अनुचित, लौकिक, आर्थिक, भौतिक या धन सम्बन्धी या अन्य लाभ प्राप्त करने के लिए या तो एकल या सामूहिक रूप से हिंसा या हिंसा की धमकी या प्रदर्शन या अभित्रास या प्रपीड़न या अन्य प्रकार से अपराध किया गया हो।

(2) गिरोहचार्ट थानाध्यक्ष / थाना प्रभारी / निरीक्षक द्वारा गिरोह के आपराधिक क्रिया कलापों का विवरण नियमावली, 2021 के प्रपत्र नं0-3 पर लिखते हुए तैयार और गिरोहचार्ट के साथ संलग्न किया जाये।

(3) पुलिस थाने पर रखी गयी गिरोह-पंजी की प्रमाणित प्रति भी गिरोह चार्ट के साथ संलग्न कर दी जाये। साथ ही डीसीआरबी और सीसीटीएनएस /आई.सी.जे.एस. के द्वारा एकत्र आपराधिक विवरण भी संलग्न किया जाये।

(4) गिरोह चार्ट के विवरण में यह अवश्य स्पष्ट उल्लेख किया जाये कि गिरोह चार्ट में वर्णित अपराध गिरोहबंद अधिनियम की धारा-2 के खण्ड ख के किस उप खण्ड से आच्छादित है।

(5) गिरोहचार्ट मे वर्णित सभी मामलों की अद्यतन स्थिति का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

(6) गिरोहचार्ट में सभी सूचनाएँ शुद्ध और सही अभिलिखित की जाये और कोई अपुष्ट या मिथ्या सूचना न लिखी जाये।

(7) नियमावली, 2021 के नियम 5, के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन किया जाए। गिरोह चार्ट में उन मामलों का कदापि उल्लेख न किया जाये, जिनके आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व में अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाही की जा चुकी है। हालाँकि, उपरोक्त मामलों की सूची नियम 5 के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में दिए गए गैंग चार्ट के साथ संलग्न की जाएगी।

(8) पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर पत्रावली प्राप्त होने पर पुनः समस्त तथ्यों का आद्योपान्त परिशीलन किया जाय तथा नियमावली, 2021 के नियम 5(3) क के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाय कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के साथ संयुक्त बैठक कर संतुष्ट होने के परचात ही पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरोह चार्ट का अनुमोदन किया जाय।

(9) गिरोह चार्ट तैयार करने तथा उक्त के अनुमोदित किये जाने एवं विवेचनोपरान्त विधिक समीक्षा तथा अन्य सुसंगत कार्यवाहियों के संबंध में पूर्वोक्त वर्णित शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन करने के अतिरिक्त नियमावली, 2021 के नियम 5(3) क के अनुसार जिला मजिस्ट्रेट / पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक की संयुक्त बैठकों के संकल्पों की प्रविष्टि हेतु एक रजिस्टर अनुरक्षित किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उक्त के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट तथा नोडल अधिकारी गिरोहचार्ट पर हस्ताक्षर करते समय अपने हस्ताक्षर के नीचे दिनांक का उल्लेख करना भी सुनिश्चित करेंगे।

(10) सक्षम अधिकारियों की संतुष्टि यह दर्शानी चाहिए कि उन्होंने न केवल गैंग चार्ट पर बल्कि गैंग चार्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों/प्रपत्रों पर भी अपना मस्तिष्क प्रयुक्त किया है।

(11) मूल मामले के तहत आरोप पत्र दाखिल करने की तारीख का उल्लेख गैंग चार्ट के कॉलम-6 में किया जाना चाहिए, सिवाय नियम, 2021 के नियम 22(2) के तहत उन मामलों को छोड़कर जहा विवेचना के दौरान गैंगस्टर अधिनियम लगाया जा सकता है। नियमावली, 2021 के नियम 8(3) के अनुसार गैंग चार्ट में दर्शाये गये गिरोह के विरूद्ध मामलों और दोषसिद्धियों या न्यायालय में स्थित तत्संबंधी प्रक्रम की नवीनतम प्रास्थिति (स्टेटस) का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अत: तद्नुसार गैंग चार्ट के अनुमोदन की तिथि पर प्रत्येक मामले की अद्यतन स्थिति के उल्लेख संबंधी उक्त नियम का कड़ाई से अनुपालन किया जाए।

(12) नियम-10 (1) के अनुसार गिरोह चार्ट के साथ रिकवरी मेमो एवं आरोप- पत्र की प्रमाणित प्रति अवश्य संलग्न की जाये।

(13) नियमावली, 2021 के नियम 16(1) में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा गैंग चार्ट के अग्रसारण संबंधी नियम उल्लिखित हैं। अत: नियमानुसार अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा नियम 16(1) के अन्तर्गत गैंग चार्ट के संबंध में अपनी संतुष्टि स्पष्ट शब्दों में अभिलिखित की जाए।

(14) नियमावली, 2021 के नियम 16(2) के अन्तर्गत जनपदीय पुलिस प्रभारी,वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा नियम 16(1) में प्रदत्त अपर पुलिस अधीक्षक की संस्तुति का अध्ययन करने के पश्चात गैंग चार्ट को अनुमोदन दिये जाने हेतु अपनी संतुष्टि दर्ज करते हुए इसे पुलिस आयुक्त या जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित किया जाए।

(15) नियमावली, 2021 के नियम 17(2) के अन्तर्गत पूर्व मुद्रित रबर की मोहर द्वारा गिरोह चार्ट पर हस्ताक्षर प्रतिषिद्ध किये गये है। तद्नुसार गैंग चार्ट पर स्वतंत्र मस्तिष्क के उचित उपयोग के बाद ही सक्षम अधिकारी द्वारा गैंग चार्ट पर अनुमोदन दर्ज किया जाएगा और पूर्व मुद्रित रबर की मोहर कदापि प्रयोग में नहीं लायी जायेगी।

(16) नियमावली, 2021 के नियम 20(3) के अनुसार गिरोहबन्द से संबंधित विवेचना पूर्ण होने परन्तु आरोप पत्र या अंतिम रिपोर्ट न्यायालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व, उक्त अन्वेषण संबंधी दस्तावेज, अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा संबंधित अभियोजक को प्रेषित किये जाएंगे। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि गिरोहबन्द की समस्त विवेचनाओं संबंधी अभिलेखों का परीक्षण संबंधित अभियोजन अधिकारी से करा लिया जाए।

(17) यदि अभियोजन अधिकारी द्वारा विवेचना के संचालन में या विवेचना के दौरान एकत्र किए गए दस्तावेज़ के परिणाम के संबंध में कोई अवैधता/अनियमितता इंगित की जाती है तो उक्त का निराकरण

कराने के पश्चात् जब अभियोजन अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर दिया जाए कि कोई अवैधता/अनियमितता शेष नही है, तब ही अपर पुलिस अधीक्षक उक्त अभिलेखों को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक को नियमावली, 2021 के नियम 20(4) के अन्तर्गत अनुमोदनार्थ अग्रसारित करेंगे।

(18) नियमावली, 2021 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत, यथास्थिति पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, नियम 20 के अधीन आवश्यक अनुमोदन के अनुदान के लिए जब भी उपरोक्त आरोप पत्र उनके समक्ष भेजा जाएगा, तो उनके द्वारा समस्त अभिलेखों का अपरिहार्य रूप से पुनः अनुशीलन किया जाए।

(19) नियमावली, 2021 के नियम 36 के अनुसार गिरोहबन्द की चल एवं अचल सम्पत्तियों और उनके अर्जित किये जाने के स्रोत का सम्यक अन्वेषण किया जाय। गिरोहबन्द के द्वारा किसी भूमि पर कब्जा आदि सम्बन्धी साक्ष्य एकत्र करना हो तो विवेचक द्वारा राजस्व अभिलेख और राजस्व प्राधिकारी से साक्ष्य एकत्र किया जाय।

(20) अधिनियम की धारा 14 के अधीन अधिहरण हेतु सम्पूर्ण सम्पत्ति के विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिपोर्ट अनिवार्य रूप से पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी और पुलिस आयुक्त / जिला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गिरोहबंद की सम्पत्ति अधिहरण के आदेश की प्रति भी अन्वेषण में सम्मिलित की जाय।

(21) जिस थाने में गिरोहबन्द से सम्बन्धित प्रकरण पंजीकृत हो उस थाने से प्रकरण की विवेचना नही की जानी है (यदि पंजीकरण वाले थाने का थानाध्यक्ष/प्रभारी निरीक्षक कार्य वितरण/स्थानान्तरण के आधार पर उस थाने पर पहुँच जाता है/उस थाने पर नियुक्त हो जाता है जहाँ से विवेचना प्रचलित है तो उसे उक्त प्रकरण को नोडल अधिकारी को अवगत कराते हुए स्वयं विवेचना नही करनी है; क्योकि वह ऐसी स्थिति में वादी और विवेचक दोनों की प्रास्थिति एक साथ ग्रहण कर लेता है।)

(22) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) नियमावली, 2021 के नियम-64 के अधीन गिरोहबन्द अधिनियम के अंतर्गत कार्यवाहियों के पर्यवेक्षण तथा पुनरीक्षण और उनसे आनुषंगिक मामलों के निस्तारण एवं प्रबंधन के सम्बन्ध में जिला स्तरीय, मण्डल स्तरीय एवं राज्य स्तरीय समितियों का गठन किया गया है। पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की प्रत्येक त्रैमास बैठक सुनिश्चित की जाय। इसी प्रकार मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में गठित मण्डल स्तरीय पर्यवेक्षण समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में अपरिहार्य रूप से आहूत की जाये।

(23) यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी भी गिरोहबंद को किसी भी दशा में किसी राजकीय सेवाओं, कारोबारों, पट्टों एवं राजकीय योजनाओं का कोई लाभ प्राप्त न हो तथा उक्त की सम्पत्ति कुर्की, प्रशासक की नियुक्ति, जब्ती, अनुज्ञप्तियों का निलंबन एवं निरस्तीकरण एवं प्रत्युद्धरण आदि माध्यमों का प्रयोग यथावश्यकता किया जाय।

(24) इस अधिनियम के अधीन अन्वेषण 06 माह के भीतर ही पूरा कर लिया जाय। यदि ऐसा न हो सके तो जिला पुलिस प्रभारी के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम 03-03 माह का सीमा विस्तार किया जाय। इसके पश्चात कदापि नही।

D-UO

(25) मामले की विवेचना करने वाला विवेचक अभियुक्त एवं साक्षियों का नाम पता (स्थायी एवं अस्थायी) तथा दूरभाष नम्बर और सुसंगत विवरण आरोप पत्र में अवश्य अंकित करें।

(26) जिला पुलिस प्रभारी द्वारा विवेचना के दौरान संकलित सभी तथ्यों एवं साक्ष्यों का सम्यक परिशीलन किया जाय उसके पश्चात् ही आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट सम्बन्धित न्यायालय में प्रेषित किये जाने हेतु अनुमोदन दिया जाय।

(27) यदि विवेचक को ऐसा उचित प्रतीत होता हो तो गिरोहबन्द की पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड भी प्रथम 60 दिवस के भीतर ली जाय।

(28) गिरोहबन्द अभियुक्त के प्रथम रिमाण्ड और प्रत्येक अनुवर्ती रिमाण्ड के समय विवेचक स्वयं सम्पूर्ण केस डायरी के साथ विशेष न्यायालय में उपस्थित रहें।

(29) अधिनियम की धारा-14 के अधीन अधिहरण हेतु सम्पूर्ण सम्पत्ति के विवरण और दस्तावेजी साक्ष्य सहित रिपोर्ट विवेचक के द्वारा अनिवार्य रूप से पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित की जाय।

(30) यदि पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा गिरोहबन्द की सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश पारित कर दिया गया है तो उक्त आदेश की प्रति भी विवेचना में शामिल की जाय।

(31) जिला स्तरीय पर्यवेक्षणीय समिति के समक्ष धारा-14 की कार्यवाहियाँ तथा गैंगचार्ट का अनुमोदन/प्रथम सूचना रिपोर्ट का पंजीकरण भी प्रस्तुत किया जाय।

(32) यह विशेष उल्लेखनीय है कि बेहतर दोषसिद्धि हेतु निम्नलिखित व्यवस्थाओं का पूर्ण अनुपालन अपरिहार्य है:-

(i) गिरोह चार्ट में वर्णित अभियुक्तों के विरूद्ध यदि पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा - 107, 108, 109, 110 (वर्तमान भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 126, 127, 128, 129) के अधीन, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम-1980, स्वापक औषधि एवं मनः प्रभावी पदार्थ अवैध व्यापार निवारण अधिनियम, 1970, उत्तर प्रदेश गुण्डा निवारण अधिनियम, 1970 के अधीन कार्यवाही की गयी हो, तो उसका स्पष्ट उल्लेख गिरोह चार्ट के विवरण में किया जाये तथा कार्यवाही के आदेश की प्रमाणित प्रति भी संलग्न की जानी चाहिए।

(ii) अधिनियम की धारा-12 का पूर्ण अनुपालन किया जाय, जिसके अनुसार किसी अन्य न्यायालय में अभियुक्त के विरूद्ध किसी अन्य मामले के विचारण पर विशेष न्यायालय द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के विचारण को पूर्वता दी जायेगी और उसे ऐसे अन्य मामले के विचारण के अधिमान में पहले समाप्त किया जायेगा और तदनुसार ऐसे अन्य मामले का विचारण अस्थगित रहेगा। अतः समस्त अभियोजकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना आज्ञापक है कि वे गिरोहबन्द के आधारभूत अभियोगों में विचारण को अस्थगित कराने का प्रार्थना पत्र अवश्य योजित कर दें।

(iii) इस अधिनियम के अधीन विवेचना करते हुए विवेचक द्वारा ऐसा साक्ष्य अवश्य संकलित किया जाय कि जिससे यह स्पष्ट हो कि गिरोहबन्द लोक व्यवस्था को अस्त-व्यस्त करने अथवा अपने

या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित दुनियावी (टम्पोरल), आर्थिक, भौतिक या अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से या तो अकेले या सामूहिक रूप से हिंसा, हिंसा की धमकी या प्रदर्शन, या अभित्रास, या प्रपीड़न द्वारा, या अन्य प्रकार से, अधिनियम में वर्णित समाज विरोधी क्रिया कलाप करते हैं।

(33) मात्र धारा 14 के अंतर्गत कुर्की ही पर्याप्त नहीं है बल्कि उक्त कुर्क सम्पत्ति की गिरोहबंद विशेष न्यायालय से राज्य के पक्ष में जब्ती भी आवश्यक है, अतः जनपदीय और मंडलीय समीक्षा में उक्त की नियमित और सघन समीक्षा की जाय।

(34) उल्लेखनीय है कि कार्यालय ज्ञाप /परिपत्र संख्या-4080/छ:पु0-9-2024-1842633 दिनांक 24.09.2024 द्वारा चेकलिस्ट संलग्नकर प्रेषित की गयी थी । अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक पांच-1-रिट-44-2024/5302/2024 दि0 29.11.2024 (छायाप्रति संलग्न) में अंकित चेक-लिस्ट के बिन्दुओं को समाविष्ट करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त नई चेकलिस्ट तैयार की गयी है (संलग्नक-1)। गिरोह चार्ट के अनुमोदन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किये जाने से पूर्व इन दिशा निर्देशों के साथ संलग्नक संख्या-1के रूप में संलग्न चेकलिस्ट के बिन्दुओं की पूर्ति कर ली जाय । उल्लेखनीय है कि चेकलिस्ट के उक्त बिन्दु मात्र उदाहरणात्मक हैं तथा आत्यन्तिक नही है । अतः हितग्राहियों द्वारा इस सम्बन्ध में विस्तृत एवं प्रभावी चेकलिस्ट तैयार की जानी अपेक्षित है।

उपरोक्त के क्रम में दिशा-निर्देशों का अनुपालन बाध्यकारी है तथा भविष्य में उक्त अधिनियम 1986 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 2021 के प्रावधानों व इस संबंध में पूर्व में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों तथा उपरोक्त दिशा-निर्देशों के प्रति उदासीनता या उपेक्षा बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।

संलग्नक- चेकलिस्ट।

Signed by
Sanjeev Gupta
Date: 02-12-2024 18:11:32
(डॉ० संजीव गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपिनिम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। :

1. पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0।
2. अपर पुलिस महानिदेशक अभियोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. समस्त पुलिस आयुक्त/जिला मजिस्ट्रेटपुलिस / पुलिस अधीक्षक वरि8 / अधीक्षक, उ0प्र0।
5. श्री अनुव्रत शर्मा, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायलय, इलाहाबाद।
7. गृह विभाग के कानून व्यवस्था से सम्बन्धित समस्त अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Signed by
Rakesh Kumar Malpani
Date: 02-12-2024 18:14:02

(राकेश कुमार मालपाणी)
विशेष सचिव।

०-७०

अभियोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश

शालीमार टावर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

पत्रांकः पाँच–1–रिट–44–2025/2815/2025 दिनांकः 09 जुलाई, 2025

समस्त परिक्षेत्रीय अपर निदेशक अभियोजन/
जनपदीय संयुक्त निदेशक अभियोजन,
उत्तर प्रदेश।

विषयः प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा–482 संख्या–20422/2024 विनय कुमार गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 12.05.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के संलग्न पत्र संख्याः1097/छः–पु0–9–2024–1939577 दिनांकित 03.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से विषयगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.05.2025 के अनुपालन में निर्देशित किया गया है किः–

1–उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से सम्बंधित प्रकरणों में सभी अभियोजन अधिकारी द्वारा उक्त केस डायरी की समीक्षा और जाँच के दौरान संकलित साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाये। यदि कोई कमी या विसंगति पायी जाती है उसे इंगित किया जायेगा और आवश्यकतानुसार आगे के अन्वेषण का निर्देश दिया जाय। अभियोजन अधिकारी द्वारा समीक्षा के पश्चात् केस डायरी पुनः उसी माध्यम से विवेचनाधिकारी को वापस की जायेगी और तभी आरोप पत्र/अन्तिम रिपोर्ट न्यायालय में की जायेगी ।

2–सभी अभियोजन अधिकारी आरोप पत्र और केस डायरी की समयवद्ध समीक्षा करें। इस कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित दिनों की संख्या भी तय कर दी जाये।

उपरोक्त संवंध में अभियोजन निदेशालय के पत्रांकःपाँच–1–रिट–44–2025/2031/2025 दिनांकः22 मई, 2025 के माध्यम से पूर्व में ही निदेर्शित किया गया है कि अपने जनपद में जनपदीय पुलिस प्रशासन को मा0 सर्वोच्च न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों से अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अपने अधीनस्थ सभी अभियोजन संवर्ग एवं जिला शासकीय अधिवक्ता संवर्ग के अभियोजकों को विवेचक द्वारा प्रेषित आरोप पत्र व केस डायरी की समीक्षा एवं विवेचना के दौरान एकत्र किये गये साक्ष्य का ससमय मूल्यांकन कर उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 से संवंधित पत्रावलियाँ 03 दिवस के भीतर विवेचक को उसी चैनल से वापस करना सुनिश्चित करे।

अतः आप सभी को पुनः निदेर्शित किया जाता है कि उल्लिखित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाये।

Digitally signed by
DIPESH JUNEJA
Date: 09-07-2025
17:18:18

(दिपेश जुनेजा)
पुलिस महानिदेशक अभियोजन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रतिलिपि–

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1.रजिस्टार कम्प्लायंस,मा0उच्च न्यायालय,इलाहावाद।

2.सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3.अपर पुलिस महानिदेशक ,अपराध उत्तर प्रदेश लखनऊ।

4.समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्तानुसार जिला शासकीय अधिवक्ता, (फौजदारी) संवर्ग के अभियोजको को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

5.शासकीय अधिवक्ता, मा0 उच्च न्यायालय इलाहावाद/लखनऊ खण्डपीठ